

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट(ए)/02/2019-20/250
प्रति,

भोपाल, दिनांक-12-09-2019.

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
सीधी मध्यप्रदेश।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 4193-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 4193-11-009 अंतर्गत योजना
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरण में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


| बजट शीर्ष /मांग संख्या | आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना | डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम | स्वीकृत राशि |
|--|--|---|----------------|
| 40 शिक्षा (प्रा. शिक्षा) 2202 सागान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय मा.वि. 4193 शास.विद्या.में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यवसायिकरण 11 वेतन भत्ते 8888 ----- V मतादेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. सपत्ती जिला सीधी। | विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सीधी। 4102003005 | RS.250000=00 |
| कुल योग (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र।) योग:- | | | RS.2,50,000=00 |

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

- 1 प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण सवितरण अधिकारी करे।
- 2 म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परियोजना) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संगत में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करे।
- 3 मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
- 4 राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। राशि का व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी कारण से यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व प्रेषित जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत”



(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.


d

//2//

पृ.क्रमांक/बजट(ए)/02/2019-20/241
प्रतिलिपि:-

नोपाल,दिनांक- 12-9-19

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीधी म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीधी, म.प्र.।
4. उप संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारी श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. रापही जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।

d